# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,**

**प्रशासकीय सदस्य**

------------

प्रकरण क्रमांक एक/कटनी/ /स्टा0अधि0/2018/119 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-9-17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 320/बी-103/14-15.

-----------

मेसर्स सांघी इन्फ्रास्ट्रक्चर एम.पी. लिमिटेड
द्वारा वाईस प्रेसिडेंट पीयूष विजयवर्गीय
पिता श्री घनश्याम विजयवर्गीय
पता करीतलाई सांघी ग्राम तहसील विजयराघवगढ़
जिला कटनी म0प्र0 -------- **आवेदक**

**विरुद्ध**

म0प्र0 शासन द्वारा -
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, कटनी
मध्यप्रदेश -------- **अनावेदक**

-------------

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0डी0 शर्मा ।

अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित ।

------------

**आदेश**

**(आज दिनांक** 20/5/2018 **को पारित)**

------------

यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 320/बी-103/14-15 में पारित आदेश दिनांक 18-9-17 के विरूद्ध धारा 56 भारतीय स्टाम्प एक्ट (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा) के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कंपनी को प्रश्नाधीन संपत्ति मौजा जमुवानी खुर्द, पड़रेही, चरी, दुर्जनपुर तहसील विजयराघवगढ़ में स्थित विभिन्न ग्रामोंमें स्थित कुल रकबा 889.76 हैक्टर क्षेद्त्र में खनिज/चूनापत्थर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई । आवेदक द्वारा खनिज पट्टे के अनुबंध का दिनांक 06-01-2012 को उप पंजीयक विजयराघवगढ़ जिला कटनी में पंजीकृत कराया गया । इसके उपरांत महालेखाकार ग्वालियर द्वारा माईनिंग शाखा कटनी के निरीक्षण/ऑडिट के दौरान ली गई आपत्ति के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, कटनी द्वारा दिनांक 20-11-14 को प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र दिनांक 26-2-15 को पेशी पर उपस्थित होने के लिए जारी किया गया परंतु इससे पूर्व ही दिनांक 19-2-15 को आलोच्य आदेश पारित किया जाकर दस्तावेज को न्यून मूल्यांकित घोषित किया जाकर कम स्टाम्प शुल्क एवं अर्थदंड की राशि कुल 9,05,23,101/- रूपये 30 दिवस के अंदर जमा कराने के निर्देश आवेदक को दिये गये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण महालेखाकार की ऑडिट आपत्ति पर पुन: प्रारंभ किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है क्योंकि ऑडिट आपत्ति के आधार पर प्रकरण रीओपन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1984 रा0नि0 161 ( माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ ) का हवाला दिया गया।

यह तर्क दिया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिंदु पर कोई विचार नहीं किया कि दिनांक 11-11-11 को निष्पादित कराए गए प्रश्नाधीन दस्तावेज (लीज अनुबंध) के संबंध में कलेक्टर, कटनी द्वारा उप पंजीयक से इस आशय का मत प्राप्त किया गया था कि उक्त लीज अनुबंध पत्र को पंजीकृत कराए जाने के लिए कितना मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क देय होगा एवं वर्ष 2011 में निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार देय राशि निर्धारित किए जाने के पश्चात ही लीज अनुबंधपत्र पंजीकृत किया गया था एवं मूल प्रति संबंधित पक्षकारों को प्रदान की गई थी तब उस समय कोई मुद्रांक शुल्क की राशि कम नहीं रही है जिसके कारण यही माना जाना चाहिए था कि

आवेदक के द्वारा निर्धारित मुद्रांक शुल्क उपकर सहित एवं पंजीयन शुल्क की राशि चुकता की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने कुल रकबा 30 वर्ष के लिए पट्टे पर देने का उल्लेख करते हुए यह माना है कि महालेखाकार ग्वालियर के द्वारा जो गणना की है, वह उचित है । विचारण न्यायालय का उक्त निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि म0प्र0 शासन, खनिज विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ19-192/92/12/2 भोपाल दिनांक 15-3-93 के पैरा 1 में नये खनि पट्टे पर स्टाम्प डयूटी किस प्रकार निर्धारित होगी इसका उल्लेख किया गया है । इस परिपत्र के अनुसार खनि पट्टा करारनामा निष्पादन के समय आवेदन की कंडिका 3(17) एवं माइनिंग प्लान में दी गई उत्खनन की मात्रा आंकड़े इनमें से जो भी अधिक हो के आधार पर संभावित औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना कर स्टाम्प अधिनियम की सारणी-1-क के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प डयूटी निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा उक्त प्रावधान के अनुसार ही मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क नियमानुसार जमा किया गया है।

यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के जबाव पर कोई विचार नहीं किया गया है तथा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है इस संबंध में उनके द्वारा न्यायालय का ध्यान प्रकरण में संलग्न सूचनापत्र एवं पारित आदेश की ओर दिलाया गया जिसमें आवेदक को उपस्थित होने हेतु दिनांक 26-2-15 के लिए नोटिस जारी किया गया है परंतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने आदेश उक्त दिनांक से पूर्व ही दिनांक 19-2-15 को आदेश पारित कर दिया गया है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में गणना की त्रुटि है। दस्तावेज के पंजीयन के समय त्रुटिपूर्ण ढंग से गणना करते हुए स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। ऑडिट के दौरान महालेखाकार के ध्यान में उक्त तथ्य आने पर पुन: गणना करते हुए कम ली गई स्टाम्प शुल्क वसूल किये जाने की बात कही गई है। अत: कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने महालेखाकार द्वारा की गई गणना के आधार पर कमी मुद्रांक शुल्क एवं अर्थदंड

अधिरोपित करने का जो आदेश दिया है वह उचित है। यह भी कहा गया कि स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत भी 5 वर्ष की अवधि में प्रकरण रीओपन किया जा सकता है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्प्ष्ट होता है कि यह प्रकरण महालेखाकार द्वारा ऑडिट के दौरान ली गई आपत्ति के आधार पर प्रारंभ हुआ है। प्रकरण में आवेदक कंपनी को प्रश्नाधीन संपत्ति मौजा जमुवानी खुर्द, पड़रेही, चरी, दुर्जनपुर तहसील विजयराघवगढ़ में स्थित विभिन्न ग्रामों में स्थित कुल रकबा 889.76 हैक्टर क्षेत्र में खनिज/चूनापत्थर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई । आवेदक द्वारा खनिज पट्टे के अनुबंध का दिनांक 06-01-12 को उप पंजीयक विजयराघवगढ़ जिला कटनी में पंजीकृत कराया गया जिसमें 3,47,28,750/- रूपये की राशि स्टाम्प डयूटी व पंजीयन शुल्क के रूप में चुकाई गई है । महालेखाकार द्वारा अपनी आपत्ति में उक्त अनुबंध पत्र पर 30 वर्ष की लीज की पूरी अवधि पर रॉयल्टी/स्टाम्प डयूटी की गणना करते हुए 9,05,23,101/- रूपये की राशि की स्टाम्प डयूटी एवं पंजीयन शुल्क तथा अधिभार देय होना दर्शाया है, परंतु उक्त राशि की गणना खनिज अधिनियम या स्टाम्प अधिनियम के किस प्रावधान के तहत की गई है, इसका कोई उल्लेख ना तो महालेखाकार की आडिट टीप में और ना ही विचारण न्यायालय के आदेश में उल्लिखित है। बिना किसी ठोस आधार के केवल इस आधार पर कि महालेखाकार, ग्वालियर द्वारा आपत्ति ली गई है, अपीलार्थी कंपनी पर स्टाम्प डयूटी एवं अर्थदंड आरोपित करना किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता । आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांत 1984 रा0नि0 161 में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा आडिट आपत्ति के आधार पर रीओपन करना विधिसम्मत नहीं माना है तथा यह भी अभिनिर्धारित किया है कि स्टाम्प डयूटी के विषय में आपत्ति पंजीकरण के समय नहीं उठाई गई - उप पंजीयन पदाधिकारी द्वारा ऐसी आपत्ति बाद में नहीं उठाई जा सकती । विचारण न्यायालय के आदेश से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है । आवेदक को उपस्थित होने हेतु दिनांक 26-2-15 के लिए नोटिस जारी किया गया है परंतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने आदेश उक्त पेशी दिनांक से पूर्व ही दिनांक 19-2-15 को आदेश पारित कर दिया गया है, जो पूर्णत: अवैधानिक कार्यवाही है ।

6/ आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष म0प्र0 शासन, खनिज विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ19-192/92/12/2 भोपाल दिनांक 15-3-93 की प्रति पेश की गई है । इस परिपत्र के पैरा 1 में <u>नये खनि पट्टे</u> पर स्टाम्प डयूटी किस प्रकार निर्धारित होगी इसका उल्लेख किया गया है, परिपत्र का पैरा-1 निम्नानुसार है :-

1- <u>नये खनि पट्टे</u> :- खनि पट्टा हेतु आवेदनपत्र की कंडिका 3(17) में आवेदक उत्पादन की मात्रा दर्शाते हैं लेकिन यह देखा गया है कि स्टाम्प डयूटी की बचत के लिए कई आवेदक इसमें उत्खनन की मात्रा कम दर्शाते हैं, अब संशोधित नियमों के अनुसार आवेदक को माइनिंग प्लान प्रस्तुत करना है, अत: खनि पट्टा करारनामा निष्पादन के समय आवेदन की कंडिका 3(17) एवं माइनिंग प्लान में दी गई उत्खनन की मात्रा आंकड़े इनमें से जो भी अधिक हो के आधार पर संभावित औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना कर स्टाम्प अधिनियम की सारणी -1-क के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प डयूटी निर्धारित की जाये ।

उक्त प्रावधान के अनुसार आवेदक कंपनी द्वारा अपने आवेदन की कंडिका 3 (17) एवं माईनिंग प्लान में दी गई उत्खनन की मात्रा के आंकड़े इनमें से जो भी अधिक होगी उसके आधार पर संभावित रायॅल्टी की गण्ना कर स्टाम्प अधिनियम की सारणी -1-क के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प डयूटी निर्धारित होगी । अभिलेख में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुबंध पत्र एवं माइनिंग प्लान की प्रति संलग्न है इन दोनों में वार्षिक उत्पादन 12 लाख टन प्रतिवर्ष दर्शाया गया है, जिस पर 63/- प्रति टन रॉयल्टी देय है । आवेदक के अनुसार उन्होंने खनिज विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्र में उल्लिखित स्टाम्प एक्ट के प्रावधान के अनुसार ही अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय प्रचलित दर से स्टाम्प शुल्क उपकर सहित एवं पंजीयन शुल्क अदा किया गया है । आवेदक द्वारा उल्लिखित शासन के उक्त परिपत्र दिनांक 15-3-1993 के बाद अन्य कोई परिपत्र शासन द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें उक्त प्रावधान को संशोधित किया गया हो, इस संबंध में अनावेदक शासन की ओर से कोई प्रमाण ना तो तर्कों के दौरान और ना ही लिखित बहस पेश करने हेतु दी गई अवधि में प्रस्तुत किया गया है और ना ही ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह परिलक्षित हो कि आवेदक द्वारा जमा की गई स्टाम्प शुल्क या पंजीयन शुल्क की राशि स्टाम्प एक्ट के प्रावधान के अनुसार कम जमा कराई गई है । दर्शित

परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसे स्थिर रखे जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-9-17 एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-2-15 निरस्त किये जाते हैं ।

**( एम0 गोपाल रेड्डी )**
**प्रशासकीय सदस्य,**
**राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,**
**ग्वालियर**